संख्या–बीमा–2545/दस––54–1981

प्रेषक

श्री वेद प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त
विभागाध्यक्ष तथा अन्य समस्त
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 1983

विषय––राज्य कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा एवं बचत योजना।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–बीमा–1316/दस––16–80, दिनांक 21 अक्टूबर, 1981 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर 13 में यह कहा गया है कि समस्त कार्यालयों द्वारा अपने कार्यालय में इस आशय का एक लेजर या रजिस्टर रखना होगा जिसमें प्रत्येक मास प्रत्येक कर्मचारी से की गयी कटौती का विवरण अंकित किया जावेगा। यह भी कहा गया है कि सम्बन्धित कर्मचारी के उस कार्यालय से स्थानान्तरण होने पर इसी रजिस्टर से उसके अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि उसके वेतन से निर्धारित रूप से उसके स्थानान्तरण तक प्राप्त किये गये वेतन से कटौती की गयी है। प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख किये जाने की दशा में समुचित ध्यान रखेंगे।

2––उसी शासनादेश के प्रस्तर 7 में यह व्यवस्था रखी गयी है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों से की गयी मासिक कटौती अधिष्ठान बिलों के माध्यम से की जायेगी और इसके लिए प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक वेतन बिल में इस आशय का प्रमाण-पत्र देगा कि वेतन बिल में दिखाये गये अल्पकालीन रिक्तियों में नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर शेष समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित कटौतियां कर ली गयी है और कटौती की कुल धनराशि वेतन बिल के प्रथम पृष्ठ पर सामूहिक बीमा योजना की कटौती के रूप में दिखा दी गयी है। इसके अलावा उक्त शासनादेश के प्रस्तर 8 में यह व्यवस्था की गयी है कि अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अथवा सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो यह उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी ने अमुक दिनांक से अपना मासिक अभिदान निर्धारित दर से दिया है।

3––सम्पूर्ण स्थिति पर विचार करने के उपरांत यह पाया गया कि उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर 7 तथा 8 में उल्लिखित व्यवस्था के रहते हुए प्रस्तर 13 में अंकित व्यवस्था को कार्यान्वित करने से कोई तथ्यपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा वरन् कार्य में अनावश्यक रूप से वृद्धि होगी। अतएव शासन ने यह निर्णय लिया है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर 13 को अब निरस्त समझा जाय।

4––इस उद्देश्य से कि कर्मचारी द्वारा दिये गये अभिदान की आसानी से गणना की जा सके शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में बीमा योजना संबंधी आवश्यक विवरण संलग्न रूप-पत्र में रखा जाय। ऐसा करने से कटौती सुनिश्चित करने में जो अनावश्यक विलम्ब होता है उसे कम किया जा सकेगा।

5––प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के विषय में संलग्न रूप-पत्र पर कर्मचारी का पैतृक विभाग, जहां से वह बाह्य सेवा पर भेजा गया हो, बाह्य सेवा अवधि की नियमित कटौती सम्बन्धी प्रविष्टि को सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे और इस प्रयोजन के लिये वे बाह्य सेवा योजक से आवश्यक विवरण प्राप्त करेंगे। अनुरोध है कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
वेद प्रकाश
विशेष सचिव।

संलग्नक––उपर्युक्तानुसार

संख्या–बीमा–2545(1)/दस––54–1981, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1––सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2––विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
3––श्री राज्यपाल का सचिवालय।
4––महालेखाकार, उत्तर प्रदेश– 1, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
जे0 बी0 सिंह,
संयुक्त निदेशक।

संलग्नक

राज्य सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी कटौतियों का उनकी सेवा-पुस्तिका में रखे जाने वाले विवरण का रूप-पत्र

1--अभिदाता का नाम ----------

2--अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में नामांकित लाभग्रहो का नाम व पूरा पता .....

3--अभिदाता के योजना में प्रवेश का दिनांक.....

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम सहित

4--कटौतियों का वार्षिक विवरण:--

कटौती की अवधि		कटौती की दर	सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
कब से	कब तक		

पी० एस० यू० पी०--ए० पो० 80 सा०, वित्त 23-7-83 (1465)--1983--10,000 (मैग०)।